उत्तर प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का कियान्वयन

पृष्ठभूमि

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई–प्रोक्योरमेट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ई–प्रोक्योरमेट के अन्तर्गत टेण्डर सम्बन्धी समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम (वेबसाइट/इन्टरनेट) से किये जाते हैं। यह प्रणाली कुछ वर्षों से तामिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में सफलतापूर्वक लागू है।

उत्तर प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली – पायलट परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए पायलट परियोजना के रूप में प्रथम चरण में निम्नानुसार ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू की जा रही हैः–

1. लोक निर्माण विभाग एवॅ सिंचाई विभाग – रू एक करोड़ से अधिक मूल्य की सभी निविदायें
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग – हाईपावर कमेटी के अन्तर्गत आने वाली सभी निविदायें।
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सभी निगम, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित सभी परियोजनायें – रू दस लाख से ऊपर के सभी निर्माण कार्य तथा सामग्री क्रय एवं रू पॉच लाख से ऊपर की सेवाओं हेतु सभी निविदायें।

वर्तमान में एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए तामिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा आदि राज्यों में ई–प्रोक्योरमेण्ट किया जा रहा है।

पायलट प्रोजेक्ट की अवधि 30 सितम्बर 2008 तक है। उक्त चिन्हित 6 विभागों में से लोक निर्माण विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन विभाग में प्राथमिकता के आधार पर ई–प्रोक्योरमेण्ट लागू कर दिया गया है तथा उनके प्रथम टेण्डर का प्रकाशन दिनॉक 01 जून 2008 को एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर तथा उ0प्र0 शासन के ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल etender.up.nic.in पर प्रकाशित करा दिये गये हैं। पायलट प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त विभागों में तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग मॉड्यूल के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई–कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग, बिड एवैल्युशन, एवार्ड आफ कान्ट्रैक्ट आदि कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।

सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक न्यूनतम दरें प्राप्त करने के लिए अलग–अलग ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने के बजाय सभी विभागों द्वारा एक ही ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर ई–प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।

ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली के लाभ

- टेण्डर एवं ठेकेदारी प्रक्रिया में माफियाराज समाप्त होगा एवं कोई भी व्यक्ति कहीं से भी भयमुक्त होकर निविदा में आवेदन कर सकेगा।
- पारदर्शिता बढ़ने से टेण्डर में अधिकारियों द्वारा किये जाने वाला दुरुपयोग सम्भव नहीं होगा एवं सही/सुपात्र व्यक्ति को ही निविदा स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।
- निविदा में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी जिससे शासकीय धन की बचत होगी।
- टेण्डर प्रक्रिया में विभिन्न खर्चों यथा विज्ञापन दिये जाने, टेण्डर फार्म मुद्रित कराये जाने आदि में समय/कागज/धन/जनशक्ति आदि की हानि न होने से शासकीय धन एवं समय की बचत होगी।
- मैनुअल टेण्डरिंग के अन्तर्गत इन्डेन्ट के प्रारम्भ से लेकर, निविदाएँ प्राप्त करने और उनके तुलनात्मक परीक्षण तक का कार्य जिसमें लगभग 3 माह का समय लगता है, ई–टेण्डरिंग के माध्यम से लगभग 1.5 माह में पूर्ण होने से समय की अत्यधिक बचत होगी।

ई–प्रोक्योरमेण्ट लागू किये जाने हेतु चिन्हित विभागों द्वारा वर्तमान में प्रचलित प्रोक्योरमेण्ट प्रक्रिया की समीक्षा करके सम्पूर्ण प्रोक्योरमेण्ट प्रक्रिया को सरल और त्वरित गति से लागू करने हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रक्रिया, स्टोर परचेस रूल्स, बिड/टेण्डर डाकुमेन्ट्स, टेण्डर रूल्स एवं अन्य वित्तीय प्राविधानों, 'चेन्ज मैनेजमेण्ट' आदि में आवश्यक संशोधन कराकर ई–प्रोक्योरमेण्ट लागू किये जाने से पूर्व, सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना होगा। लोक निर्माण विभाग तथा मुद्रण एवॅ लेखन विभाग द्वारा बिड डाकुमेन्ट्स, स्टोर परचेस रूल्स, टेण्डर रूल्स तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में आवश्यक संशोधन करा लिये गये है तथा दिनॉक 1 जून 2008 को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से इन विभागों के प्रथम टेण्डर का प्रकाशन किया गया है।

ई–प्रोक्योरमेण्ट हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों, निविदादाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथारिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एनआईसी–नई दिल्ली, एमटीएनएल–नई दिल्ली, टीसीएस–मुम्बई, कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, नई दिल्ली, इन्स्टीट्यूट फार डेवलपमेण्ट एण्ड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलौजी, हैदराबाद, सेफ स्क्रिप्ट–चेन्नई, एन कोड सॉल्यूशन्स, अहमदाबाद आदि सात सर्टिफाइंग अथारिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथारिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. द्वारा निविदा प्रक्रिया से सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों को एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा जारी डिजिटल सिगनेचर तथा ठेकेदारों/बिडर्स/निविदादाताओं को एम.टी.एन.एल. द्वारा निर्गत डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके लिए प्रति डिजिटल सिगनेचर रू 1500/– का शुल्क देय है।

अधिकारियों/कर्मचारियों/बिडर्स/स्टेक–होल्डर्स को ई–प्रोक्योरमेण्ट सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक होंगे। इसके अभाव में ई–प्रोक्योरमेण्ट सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण अथवा सॉफ्टवेयर का उपयोग कर पाना सम्भव नहीं होगा। प्रशिक्षण का कार्य यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जा रहा है, तथा विभाग के स्तर पर

पॅजीकृत बिडर्स/स्टेक–होल्डर्स, जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध होंगे, को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली के कियान्वयन हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही

- सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में ई–मॉनीटरिंग सेल का गठन एवॅ नियमित रूप से उसकी बैठकें करके ई–प्रोक्योरमेण्ट के कियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित किया जाना। ई–प्रोक्योरमेण्ट के कियान्वयन हेतु प्रत्येक कार्यालय के एक या दो अधिकारियों को समन्वयक अधिकारी के रूप में नामित किया जाना

- सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया जाना कि निर्धारित वित्तीय सीमा से ऊपर की निविदायें ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म प्रारम्भ होने के पश्चात केवल ई–प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से ही आमंत्रित की जा सकेंगी।

- विभागीय स्तर पर कम्प्यूटर की उपलब्धता एवॅ उसपर इन्टरनेट कनेक्शन हेतु ब्रॉड–बैण्ड/ डायल–अप कनेक्टिविटी उपलब्धता सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाना।

- सम्बन्धित विभाग में टेण्डर से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर, ई–प्रोक्योरमेण्ट हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवॅ डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने की दृष्टि से वरीयतावार उनके समूहों का गठन। विभागीय मास्टर ट्रेनर्स चिन्हित किया जाना, जो विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

- ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली के कियान्वयन की सूचना का विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं/निविदादाताओं/कान्ट्रैक्टर्स के मध्य, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सूचना–पटल, पत्रादि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार। आपूर्तिकर्ताओं/ निविदादाताओं/कान्ट्रैक्टर्स को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना कि वह आवश्यक पॅजीयन शुल्क देकर अपना पॅजीयन करा लें तथा डिजिटल सिग्नेचर भी प्राप्त कर लें।

- टेण्डर करने वाले अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों एवं निविदादाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/कान्ट्रैक्टर्स को ई–प्रोक्योरमेण्ट सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण के लिए यूपीएलसी के साथ समन्वय करके स्थान एवॅ तिथियॉ तत्काल निर्धारित कराया जाना और तद्नुसार यूपीएलसी के सहयोग से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराया जाना।

- डिजिटल सिग्नेचर हेतु अधिकृत सर्टिफाइंग अथारिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथारिटीज को निर्धारित शुल्क देकर टेण्डर से सम्बन्धित अधिकारियों तथा टेण्डर समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना।